भारत में द्विविवाह

विषय – सूची

1. परिचय
2. आईपीसी की धारा 494 की अनिवार्यता
3. अपराध का वर्गीकरण
4. कौन शिकायत दर्ज कर सकता है
4.1. यौगिक अपराध
5. बिगामिस्ट अर्थ
6. बिगामी बनाम बहुविवाह
7. मुस्लिम बहुविवाह
7.1. मूल
8. आधुनिक भारत में हिंदू बहुविवाह
9. ईसाई बहुविवाह
9.1. कपटपूर्ण विवाह
9.1.1. अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक सामग्री
9.1.1.1. कपटपूर्ण इरादा
9.1.1.2. गलत विश्वास पैदा करना
9.2. बहुविवाह के उद्देश्य से रूपांतरण
9.3. बड़ी अवैध क्यों है
9.4. बिगामी आई.पी.सी.
9.4.1. धारा 494
9.5. कौन बिगाड़ सकता है आरोप
9.5.1. महिलाओं के मामले में
9.5.2. पति के मामले में
9.6. दूसरी पत्नी के अधिकार
9.7. दूसरी शादी से बच्चा
9.8. गोवा में बिगमी
9.9. संदर्भ

परिचय

द्विविवाह की पिछली परिभाषा में इन शब्दों में "पति या पत्नी होने" का समावेश था, लेकिन ये शब्द एक बार अस्पष्ट हो जाते हैं जब पहली शादी अलग होने के बाद वैध हो जाती है।

इस प्रकार आईपीसी की धारा 494 के तहत बिगमी की परिभाषा को फिर से तैयार करने का सुझाव दिया गया था।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1995 की धारा 5 के अनुसार, विवाह के समय आवश्यक शर्तें यह है कि विवाह करने वाले दोनों भागीदारों का जीवनसाथी नहीं होना चाहिए।

लेकिन आईपीसी की धारा 494 द्वारा प्रदान किया गया एक अपवाद है, यह बताता है कि या तो साथी सात साल की अवधि के लिए अपने साथी की लंबी अनुपस्थिति के बाद दूसरी शादी का अनुबंध कर सकते हैं।

आईपीसी की धारा 494 की अनिवार्यता

पहली शादी कानून के मुताबिक होनी चाहिए यानी कानूनी होनी चाहिए

- दूसरी शादी होनी चाहिए थी
- पहली शादी मौजूदा होनी चाहिए
- जीवनसाथी जीवित होना चाहिए
- दोनों शादियां वैध होनी चाहिए

अपराध का वर्गीकरण

- यह एक गैर-संज्ञेय अपराध है।
- यह जमानती अपराध है

कौन शिकायत दर्ज कर सकता है

कोई भी व्यक्ति जो अपने साथी द्वारा धोखा दिया गया है, शिकायत दर्ज कर सकता है। पत्नी, उसके पिता, माता, भाई, बहन या खून से संबंधित किसी भी व्यक्ति के मामले में, अदालत की छुट्टी के साथ उसकी ओर से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पति के मामले में, केवल उसे शिकायत दर्ज करने की अनुमति है।

यौगिक अपराध

अगर पत्नी की सहमति है और अगर सक्षम अदालत अनुमति देती है, तो बिगैमी के तहत आने वाले अपराध यौगिक हैं।

द्विविवाहो का अर्थ

जब कोई व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा है और शादी अभी भी वैध है, तो किसी अन्य व्यक्ति के साथ दूसरी शादी को अनुबंधित किया जाता है और इसे द्विविवाह व्यक्ति कहा जाता है।

उदाहरण: "ए" की शादी "बी" से हुई जो उसकी पत्नी है और कुछ झगड़े के कारण वह अपनी ससुराल छोड़कर अपने माता-पिता के घर चली गई। फिर कुछ दिनों के बाद, उसके पति ने दूसरी महिला से शादी कर ली। इस मामले में, "ए" को एक बिगैमिस्ट के रूप में बुलाया जाना है।

बिगामी बनाम बहुविवाह

आधार	द्विविवाह का प्रथा	बहुविवाह
अर्थ	जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से शादी करता है, इस तथ्य के बावजूद कि वह / वह कानूनी रूप से पहले शादी कर चुकी है।	जब एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक पति-पत्नी हो।
धार्मिक अभ्यास	यह एक धार्मिक प्रथा नहीं है।	इसे एक धार्मिक प्रथा माना जाता है। यह ज्यादातर मुस्लिम धर्म में देखा जाता है।
ज्ञान	• हो सकता है कि दूसरा पति पहली शादी के बारे में नहीं जानता हो। • पहले पति या पत्नी को दूसरी शादी के बाद ही इस तथ्य के बारे में पता चलता है।	• जैसा कि उनमें से अधिकांश एक ही स्थान पर रहते हैं, वे इस तथ्य से अवगत हैं।
कानूनी	• Bigamy किसी भी देश में कानूनी नहीं है • लेकिन कुछ मामलों में जहां पहली शादी पहले ही भंग हो चुकी है, दूसरी शादी को कानूनी माना जा सकता है	• भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस आदि देशों में, इसे कानूनी माना जाता है।

सज़ा	• भारत में, एक व्यक्ति जिसने बिगमी का अपराध किया है, उसे आईपीसी की धारा 494 के तहत दोषी ठहराया जाना है	एन / ए
मामले	भाऊराव शंकर लोखंडे और ओआरएस। महाराष्ट्र और ओआरएस की बनाम।	जाफ़र अब्बास रसूल मोहम्मद व्यापारी बनाम गुजरात राज्य और ओ.आर.एस.

मुस्लिम बहुविवाह

मूल

उहुद की लड़ाई के बाद, यह देखा गया कि मुसलमान पैगंबर के साथ-साथ इस्लाम के लिए लड़ रहे थे।

कई महिलाओं को एक पति के बिना छोड़ दिया गया था और उनके बच्चों को अनाथों के रूप में पीछे छोड़ दिया गया था। इस प्रकार अल्लाह दुख के बारे में चिंतित था और इस प्रकार बहुविवाह इस प्रकार पेश किया गया था।

मुस्लिम मैरिज लॉ के अनुसार, एक पति की अधिकतम चार पत्नियां हो सकती हैं। भारत में मुस्लिम बहुविवाह को समाप्त नहीं किया गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार, एक मुस्लिम पुरुष को अपने पिछले विवाह की वैधता की उपस्थिति में फिर से शादी करने की अनुमति है।

बहुविवाह की वैधता कुरान के अध्याय 4 से आती है ।

अधिकांश स्थानों पर, मुस्लिम बहुविवाह प्रथा पत्नी की सहमति के बिना होती है।

इस प्रकार, पाकिस्तान ने 1961 में मुस्लिम परिवार कानून अध्यादेश पारित किया जिसमें एक पति को केंद्रीय परिषद के अध्यक्ष से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है, जो एक निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय है।

यह नियम आदमी को चुपके से शादी करने के लिए मना करता है। मुस्लिम कानून एक व्यक्ति को बहुविवाह के लिए अनुमति देता है लेकिन यह आदमी को अपनी पहली पत्नी को उसके साथ रहने के लिए मजबूर करता है।

आधुनिक भारत में हिंदू बहुविवाह

हिंदू विवाह अधिनियम, 1995 बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाता है। इस अधिनियम के अनुसार बहुविवाह से उत्पन्न होने वाली शादी प्रकृति से शून्य नहीं है क्योंकि कानून का पालन नहीं करने वाले किसी भी व्यक्ति को आईपीसी की धारा 494 और 495 के तहत दंडित किया जाएगा ।

द हिंदू मैरिज एक्ट, 1995 की धारा 5 में कहा गया है कि विवाह को वैध मानने के लिए मुख्य आवश्यक यह होना चाहिए कि दोनों पक्षों के पास कोई जीवित पति-पत्नी न हो। सरला मुद्गल बनाम भारत संघ के मामले में , यह आयोजित किया गया था कि विवाह हिंदू विवाह अधिनियम, 1995 के अनुसार हुआ था और यह केवल इस अधिनियम के प्रावधानों से भंग हो जाएगा। खुद को अन्य धर्मों में परिवर्तित करने वाला व्यक्ति उसे सजा से बचने के लिए प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करेगा।

ईसाई बहुविवाह

ओल्ड के अनुसार, वसीयतनामा बहुविवाह स्पष्ट रूप से निषिद्ध है। चर्च के धर्म मंत्री और मैरिज रजिस्ट्रार ऐसे अधिकारी होते हैं जो ईसाई विवाह का प्रबंधन करते हैं। प्रावधान के अनुसार, शादी के लिए दो मापदंड हैं

1. व्यक्ति को पहली बार शादी करनी चाहिए।

2. शादी करने वाले व्यक्ति को जीवनसाथी नहीं होना चाहिए।

लेकिन मौजूदा शादी की कोई गुंजाइश नहीं है। और जो व्यक्ति झूठी शपथ लेता है और अपनी पिछली शादी के तथ्य को छुपाता है और एक जीवित पति या पत्नी को आईपीसी की धारा 193 के तहत दंडित किया जाएगा ।

कपटपूर्ण विवाह

आईपीसी की धारा 493 के अनुसार

जब एक आदमी चतुराई से एक महिला को यह विश्वास दिलाता है कि वे कानूनन शादी कर रहे हैं और उस विश्वास के साथ कि वह उसके साथ यौन संबंध रखती है, इस तथ्य के बावजूद कि विवाह अमान्य है।

इस मामले में, व्यक्ति को ऐसे शब्द के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जो वर्षों तक हो सकता है।

वह जुर्माना देने के लिए भी उत्तरदायी होगा; या दोनों कारावास के साथ-साथ जुर्माना भी।

आईपीसी की धारा 496 के अनुसार

जब किसी व्यक्ति की दोबारा शादी हो जाती है, तो पर्याप्त ज्ञान के साथ कि यह कानून के अनुसार मान्य नहीं है और इस तथ्य को छिपाता है। फिर, इस मामले में, उसे एक ऐसे कारावास की सजा दी जाएगी जो सात साल से अधिक हो सकती है। वह जुर्माना भरने के लिए भी उत्तरदायी हो सकता है।

अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक सामग्री

कपटपूर्ण इरादा

दोनों वर्गों में यह दिखाना आवश्यक है कि किया गया कृत्य प्रकृति में कपटपूर्ण है। यह दिखाना आवश्यक है कि महिला शादी की शून्यता से पूरी तरह से अनजान है लेकिन पुरुष स्थिति से स्पष्ट रूप से अवगत है। एक शादी को वैध माना जाता है जब दोनों लोग शादी के सभी आवश्यक रस्मों को बोनफाइड छाप के तहत कर रहे हैं, हालांकि वास्तविक जीवन में शादी वैध नहीं है। यह स्थिति इसलिए पैदा होती है क्योंकि आदमी को तथ्यों की जानकारी नहीं होती है और शादी के समय कोई कपटपूर्ण इरादा नहीं था। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि इसका मतलब है कि इस खंड के तहत एक मजबूत तत्व है।

गलत विश्वास पैदा करना

महिलाओं को धोखा देने के लिए एक आदमी का एकमात्र कार्य अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। यह दिखाया जाना चाहिए कि झूठी व्याख्या के साथ पुरुष ने महिलाओं से शादी की और इस गलत धारणा के तहत कि वे कानूनी रूप से विवाहित हैं, उन्होंने संभोग किया था। लेकिन अगर महिलाओं ने सभी तथ्यों को बंद कर दिया है और अभी भी उसे संभोग करने की अनुमति देती है तो यह मान्य नहीं होगा। जब एक आदमी की पिछली शादी का विघटन अदालत में चल रहा है और इस अवधि के दौरान वह फिर से शादी करता है तो यह मान्य नहीं है। लेकिन अगर वह उपरोक्त तथ्य के बारे में लड़की और उसके माता-पिता को सूचित करते हुए शादी कर लेता है, तो इसे धोखाधड़ी की कार्रवाई नहीं माना जाएगा।

बहुविवाह के उद्देश्य से रूपांतरण

विभिन्न निर्णयों का संदर्भ लेते हुए यह स्पष्ट है कि पिछली शादी के अस्तित्व में दूसरी शादी के उद्देश्य के लिए धर्म परिवर्तन आईपीसी की धारा 494 के तहत सजा का एक सहारा नहीं होगा ।

भारत संघ व सरला मुदगल के मामले में यह देखा गया है कि उसके पति बदल इस्लाम धर्म को अपने धर्म दूसरी औरत से शादी करना। लेकिन यह देखा गया कि पहली शादी का कोई विघटन नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला दिया कि पहली शादी के अस्तित्व के दौरान दूसरे व्यक्ति से शादी करने के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन आईपीसी की धारा 494 के तहत अपराध होगा ।

द्विविवाह अवैध क्यों है

जब दूसरी शादी के अस्तित्व में बड़ाई की जाती है और भागीदारों के सामने तथ्यों का खुलासा नहीं किया जाता है, तो इसे अवैध माना जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने पिछले विवाह, ई के तथ्य को छुपाता है और फिर से शादी करता है, तो यह धोखाधड़ी की कार्रवाई का गठन करता है। इस प्रकार यह अवैध है। पहली शादी के अस्तित्व के मामले में, जो वैध है, जब एक व्यक्ति दूसरी शादी से गुजरता

है तो दूसरा साथी उन अधिकारों से वंचित रह जाता है जो व्यक्ति शादी के दौरान कानून द्वारा हकदार था। और कानून के अनुसार, कोई भी व्यक्ति अधिकारों से वंचित नहीं होगा।

द्विविवाह आई.पी.सी.

धारा 494

इस धारा में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो पहले से ही पति या पत्नी है और पिछले जीवनसाथी के अस्तित्व में किसी अन्य व्यक्ति से शादी करता है, तो उस व्यक्ति को कारावास से दंडित किया जाएगा जो सात साल तक का होगा और जुर्माना के लिए उत्तरदायी होगा। लेकिन एक व्यक्ति को इस धारा के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जब विवाह पहले ही अदालत द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया हो। जब पति-पत्नी में से कोई एक सात साल से लापता है और उसके अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो दूसरा साथी दूसरी शादी का अनुबंध कर सकता है। लेकिन जीवनसाथी को उस व्यक्ति के सामने तथ्यों को खोलने की जरूरत है, जिससे वे शादी कर रहे हैं।

कौन द्विविवाह का आरोप लगा सकता है

जिस व्यक्ति को दूसरी शादी के अनुबंध में उनके पति द्वारा धोखा दिया गया है, वह केवल इस धारा के तहत व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर सकता है। पहले पति या पत्नी को इस धारा के तहत शिकायत दर्ज करने का अधिकार नहीं है।

महिलाओं के मामले में

वह खुद शिकायत दर्ज करा सकती है। एक पत्नी, उसके पिता, माँ, भाई, बहन या अदालत से छुट्टी के साथ खून से संबंधित किसी भी व्यक्ति के मामले में, उसकी ओर से शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

पति के मामले में

पति की ओर से कोई भी व्यक्ति मामला दर्ज नहीं कर सकता है यानी उसे खुद शिकायत दर्ज करनी होगी

लेकिन सशस्त्र बलों में व्यक्ति के मामले में, जो शिकायत अपवाद को दर्ज करने के लिए छुट्टी लेने में सक्षम नहीं है, प्रदान की जाती है

दूसरी पत्नी के अधिकार

दूसरी शादी के मामले में दूसरी पत्नी के अधिकार का कोई प्रावधान नहीं है। वह अपने पति की संपत्ति के अधिकार का दावा नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी पत्नी अधिकारों का दावा कर सकती है यदि आईपीसी की धारा 494 में दिए गए अपवादों के तहत विवाह वैध है । जहां दूसरी शादी हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार हुई है, लेकिन इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अमान्य है, तो दूसरी पत्नी को दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी शादी से बच्चा जब दूसरी शादी को वैध घोषित किया जाता है, तो जन्म लेने वाले बच्चे को पहले विवाह के बच्चे के अनुसार समान अधिकार होंगे। लेकिन अगर दूसरी शादी हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वैध नहीं है, तो दूसरी शादी से पैदा हुए बच्चे को भी वैसा ही अधिकार मिलेगा जैसा कि पहली शादी से बच्चे को मिलेगा।

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16, प्रावधान प्रदान करती है जहां दूसरा बच्चा अधिकारों को प्राप्त कर सकता है।

गोवा में द्विविवाह

गोवा के तहत किसी भी मुस्लिम व्यक्ति ने अपना विवाह पंजीकरण कराया है, जिसे बहुविवाह करने की अनुमति नहीं है। लेकिन गोवा बहुविवाह के साथ-साथ कुछ मामलों में भी द्विविवाह की अनुमति देता है

जब पिछली शादी की पत्नी बच्चे को जन्म देने में सक्षम नहीं होती है और वह 25 साल की उम्र तक पहुंचती है।

जब पिछली शादी की पत्नी 30 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद भी एक पुरुष बच्चे को जन्म देने में सक्षम नहीं होती है।

जब गोवा विवाह संहिता के प्रावधानों के अनुसार पिछली शादी को भंग कर दिया जाता